

य अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बरही, हजारीबाग।

सं०-104/2021

धारा-144 दं०प्र०स०

3

मनोज रजक-बनाम- बसंत साव वगै०

तारीख

-आदेश:-

अभियुक्ति

यह वाद आवेदक कि ओर से विज्ञ अधिवक्ता के माध्यम से द०प्र०स० कि धारा 144 के तहत कार्रवाई प्रारंभ करने हेतु वकालतनामा के साथ आवेदन पत्र दिनांक 10.08.2021 को कार्रवाई प्रारंभ करने हुए दाखिल किया गया। जिसपर कार्रवाई करते हुए उभय पक्षों को विवादित भूमि पर जाने से 02 (दो) माह के लिए रोक लगई गई।

विवादी भूमि का ब्यौरा इस प्रकार है :-

मौजा- बरकट्टा डाकडीह, थाना- बरकट्टा, जिला-हजारीबाग।

खाता नं०	प्लॉट नं०	रकबा	चौहदी
158	3004	16 डी०	उ०- टांड द०- तीलो तेली पू०- नीज प०- टांड मनीर मांझी
158	3005	14 डी०	उ०- सरकारी रास्ता द०- बारी धमंडी तेली पू०- बारी बंधन तेली प०- मकान व बारी नीज खरीदार
		हाल चौहदी	उ०- सरकारी रास्ता द०- बसंत साव पू०- साहु धर्मशाला प०- बसंत साव

आवेदक के आवेदन के आलोक में उपरोक्त पर दिनांक 21.08.21, 31.08.21, 07.09.21, 20.09.21, 6.10.21, 9.10.21, 22.10.21, एवं 29.10.21 को सुनवाई पर रखा गया। आदेश पत्रक का अवलोकन किया गया अवलोकन से ज्ञात होता है उभय पक्ष 21.08.21, 07.09.21, 20.09.21, 6.10.21, 22.10.21, को अनुपस्थित रहे। वाद लम्बे समय से लंबित है, ऐसा प्रतीत होता है कि उभय पक्षों को वाद में अभिरुचि नहीं है। उभय पक्षों के बीच शांति व्यवस्था भंग होने की संभावना प्रतीत नहीं होती है।

अतः वाद की कार्यवाही बिना किसी प्रभावी आदेश के समाप्त किया जाता है।

लेखापति एवं संशोधित
22/10/21
अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
बरही, हजारीबाग

22/10/21
अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
बरही, हजारीबाग